बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम,

1981[1]

(बिहार अधिनियम सं 1, 1982)

राज्य में आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाये जाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

उद्देश्य एवं हेतु

विश्वविद्यालयों, बोर्डों, बिहार लोक सेवा आयोग एवं कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित एवं संचालित परीक्षाओं में कदाचार एवं अनुचित तरीकों को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने हेतु अध्यादेश प्रख्यापित किया गया । उक्त अध्यादेश को अन्तिम बार बिहार परीक्षा संचालन तृतीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश 176, 1981) के रूप में प्रख्यापित किया गया ।

उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) यह अधिनियम बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में—

---

1. 21.1.1982 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त ।

23.1.1982 को बिहार गजट असाधारण संख्या 91 में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित ।

(i) "मान्यता प्राप्त परीक्षा" से अभिप्रेत है अनुसूची में प्रमाणित कोई भी परीक्षा और राज्य सरकार के अधिकार के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा संचालित परीक्षा और इसमें मूल्यांकन, सारणीकरण, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से सम्बन्धित सभी विषय शामिल हैं; और

(ii) किसी परीक्षा के सम्बन्ध में "अनुचित तरीके" से अभिप्रेत होगा किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

3. **परीक्षाओं में अनुचित तरीके के प्रयोग या छल का प्रतिषेध**—कोई भी व्यक्ति अनुसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में या किसी मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य में अथवा मान्यताप्राप्त परीक्षा से संबंधित किसी विषय में अनुचित तरीके या छल का सहारा नहीं लेगा।

4. **अनुचित तरीके के प्रयोग में सहायता देना या उसके लिए दुष्प्रेरित अथवा षड्यंत्र करना**—कोई भी व्यक्ति अनुसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में अनुचित तरीके के प्रयोग या छल में न तो सहायता देगा और न उसके लिए दुष्प्रेरित या षड्यंत्र करेगा।

5. **प्रश्न-पत्र की प्रतियाँ और जानकारी देने पर प्रतिबंध**—ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्त्तव्य के आधार पर ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र की प्रतियाँ वितरीत करने के लिए निर्धारित समय के पूर्व—

(i) ऐसा प्रश्न-पत्र या उसका कोई अंश अथवा उसकी प्रति न तो प्राप्त करेगा और न उसे प्राप्त अथवा कब्जे में करने का प्रयत्न करेगा; या

(ii) ऐसी जानकारी न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा, जिसके बारे में वह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे प्रश्न-पत्र के बारे में है या उससे ली गई है अथवा उससे सम्बन्धित है।

6. **परीक्षा कार्य सौंप गए व्यक्ति द्वारा कोई बात प्रकट करने पर रोक**—ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मान्यताप्राप्त परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, जहाँ उसे अपने कर्त्तव्य के आधार पर ऐसा करने की अनुमति हो वहाँ छोड़कर, इस प्रकार सौंपे गए कार्य के फलस्वरूप प्राप्त कोई जानकारी या उसका अंश, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति पर न तो प्रकट करेगा या कराएगा अथवा उसे उससे अवगत कराएगा।

7. जाली प्रश्न-पत्रों पर रोक—कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी प्रश्न-पत्र प्राप्त नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, वितरित नहीं करेगा या उसको अन्यथा प्रचार नहीं करेगा या करवायेगा जो किसी आगामी मान्यताप्राप्त परीक्षा में दिया जानेवाला या दिया जा सकने वाला प्रश्न-पत्र हो या होने के लिए तात्पर्यित हो।

8. परीक्षा केन्द्र आदि के नजदीक मटरगश्ती आदि करने पर रोक—जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों के आधार पर ऐसा करने के लिए अनुमत हो या जो व्यक्ति केन्द्र अधीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो उसे छोड़ कर कोई भी व्यक्ति जिस तारीखों या जिन तारीखों को किसी मान्यताप्राप्त परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य किया जाए, उस तारीख या उन तारीखों को किसी भी परीक्षा केन्द्र में ऐसी परीक्षा के संचालन या मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य के समय और ऐसी परीक्षा या मूल्यांकन या सारणीकरण के प्रारम्भ के दो घंटे पहले, परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहाँ मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य चल रहा हो या परीक्षा केंद्र या मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य-स्थल से पाँच सौ गज की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में, निम्नलिखित कोई भी काम नहीं करेगा :—

(क) मटरगश्ती करना;

(ख) परीक्षा से सम्बन्धित कोई भी कागज-पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना या वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना;

(ग) ऐसे अन्य कार्य-कलाप में संलग्न होना, जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल-प्रभाव पड़ने की संभावना हो :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्य कलापों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

9. परीक्षा, आदि के समुचित संचालन के संबद्ध व्यक्ति को सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने से इंकार करने पर रोक—जिस व्यक्ति को किसी परीक्षा का निरीक्षण या अधीक्षण या मूल्यांकन कार्य, सारणीकरण, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो वह सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा।

10. शास्ति—जो भी व्यक्ति धारा 3 से 9 तक के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह अधिक-से-अधिक छह महीने और कम-से-कम एक महीने के कारावास या दो हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा।

11. अपराध का स्वरूप और विचारण—इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे तथा कार्यपालक दंडाधिकारी जिन्हें सम्यक एवं उचित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, इनका निपटारा संक्षिप्त विचारण द्वारा करेंगे।

12. मामले की छानबीन—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों की छानबीन आरक्षी उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

13. अपील—इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील संबद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास की जाएगी।

14. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भी परीक्षा को अनुसूची में जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी।

15. निरसन और व्यावृत्ति—परीक्षा संचालन तृतीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश संख्या 171, 1981) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

अनुसूची

[देखें धारा 2 (i)]

(1) बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन संचालित परीक्षा।

(2) राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन संचालित परीक्षा।

(3) बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा।

(4) बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा।

(5) स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग एवं विज्ञान पाठ्यक्रम (अंडर-ग्रैजुएट-इंजीनियरिंग ऐंड सायंस कोर्स) में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा।